लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश
गौतम नगर चेतक ब्रिज के पास भोपाल–462023

क्र./यू.सी.आर./सी/134/नियो./2022/777 भोपाल, दिनांक 19.04.2022

:: आदेश ::

शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की प्रचलित भर्ती अन्तर्गत प्रावधिक रुप से चयनित/प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में अमान्य किये गये प्रकरणों के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों के क्रम में समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31.03.2022 में एक साथ दो डिग्री अर्जित करने के संबंध में की गई अनुशंसाओं पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक नियोजन अन्तर्गत संचालनालय द्वारा एक सत्र में दो उपाधि के संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये निम्नानुसार प्रकरण मान्य किये जाते हैं :–

1. एक डिग्री स्वाध्यायी/पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी।
2. दोनों डिग्री स्वाध्यायी/पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी।
3. परीक्षा में एटीकेटी के कारण एक सत्र में दो नियमित डिग्रीयॉ अर्जित होना परिलक्षित हो रहा है किन्तु ऐसी स्थिति, एटीकेटी की अंकसूची में अंकित सत्र/वर्ष के कारण हो रही है, तो ऐसे प्रकरणों में भी अभ्यर्थिता मान्य होगी।
4. विश्वविद्यालयों के द्वारा सत्र विलम्ब से सम्पन्न होने/सत्र शून्य घोषित होने के कारण परीक्षा विलम्ब से सम्पन्न होने की स्थिति में दो नियमित डिग्री के एक ही वर्ष में दर्शित होने की स्थिति में प्रकरणवार विचार कर गुण–दोष के आधार पर निर्णय हेतु नियुक्तकर्ता अधिकारी को अधिकृत किया जाता है।
5. उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण उद्भूत होने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी गुण–दोष के आधार पर निर्णय कर सकेगें।

(अभय वर्मा)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्र./यू.सी.आर./सी/134/नियो./2022/778 भोपाल, दिनांक 19.04.2022
प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश